न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : मुकेश कुमार कलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2019 (राजस्व अपील) दायर दिनांक 25.07.2019

श्री रामलाल पिता लक्ष्मण गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी नेगड़िया, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ ।

.... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी उपतहसीलदार मंगलवाड़ तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ ।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ ।

.........रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपतहसीलदार मंगलवाड़ जिला चितौड़गढ़ प्रकरण नं.596/2019 निर्णय दिनांक 12.02.2019

उपस्थितः– वकील अपीलान्ट :– श्री नरेश शर्मा

वकील रेस्पोडेन्ट्स :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 24.01.2020

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभिभाषक अपीलान्ट ने एक अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार मंगलवाड़ दिनांक 12.02.2019 प्रकरण संख्या 596/2019 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् इस न्यायालय में अपीलान्ट श्री रामलाल पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी नेगड़िया तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ ने विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स सरकार जरिये उप तहसीलदार मंगलवाड़ तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ के प्रस्तुत की कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने नोटिस अर्न्तगत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के अपीलान्ट को भिजवाया कि आपने ग्राम मौजा नेगडिया तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1081/888 रकबा 0.0295 हैक्टर भूमि किस्म चरनोट प.2 पर सवंत् 2075 में अपीलान्ट ने नाजायज कब्जा कर लोहे की चद्दर डालकर होटल एवं पानी का होज बना लिया है। अतः दिनांक 12.02.2019 को प्रातः 10 बजे कार्यालय उप तहसीलदार मंगलवाड के समक्ष उपस्थित होवे। अपीलार्थी दिनांक 12.02.2019 को

न्यायालय उप तहसीलदार मगंलवाड के यहां उपस्थित हुआ एवं जवाब/पक्ष रखने हेतु अवसर चाहा गया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलार्थी को प्रकरण के संबंध में कहा कि अपना जो भी जवाब देना चाहे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 तहसीलदार डूंगला के समक्ष एक माह के भीतर प्रस्तुत करें। प्रकरण में एक माह बाद विधि सम्मत निर्णय पारित किया जायेगा। दिनांक 04.07.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के द्वारा एक सूचना पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/450 अपीलार्थी को भिजवाया गया कि न्यायालय उप तहसीलदार मंगलवाड़ में धारा 91 के तहत आपके विरूद्ध प्रकरण संख्या 596/2019 दर्ज कर जिस पर निर्णय दिनांक 12.02.2019 अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया जिस पर आप द्वारा कब्जा हटाना स्वीकार किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा दिनांक 11.07.2019 को अपीलार्थी को कब्जा मौके से हटाने का आदेश दिया गया। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा उप तहसीलदार मंगलवाड के कार्यालय में जाकर दिनांक 18.07.2019 को उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर प्रार्थी/अपीलान्ट को दिनांक 19.7.2019 को प्रतिलिपियां प्राप्त हुई। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.02.2019 की विधिवत जानकारी व प्रतिलिपी लेने पर ही हुई जिसके आधार पर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई। अपील निम्नानुसार पेश है– अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं आदेश न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उप तहसीलदार मंगलवाड ने अपीलार्थी को सुनवाई के अधिकार से पूर्ण रूप से वंछित किया जो प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 25.01.2019 के अनुसार दिनांक 12.02.2019 को उक्त न्यायालय में उपस्थिति दी और जवाब हेतु अवसर चाहा जो नही दिया गया और उक्त प्रकरण में दिनांक 12.02.2019 को ही निर्णय पारित किया गया जो नियमों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अपीलार्थी का विगत 50 वर्षो से उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होकर काबिज है। उक्त आराजी को काबिल काश्त अपनी खुन पसीने की कमाई से बनाया है। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2019 को निरस्त फरमा सुनवाई का अवसर प्रदान कराते हुए विधिसम्मत निर्णय फरमाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी को उक्त अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 तहसीलदार डूंगला

द्वारा प्रेषित सूचना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर हुई है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ द्वारा पारित निर्णय दिनाक 12.02.2019 अपील मे वर्णित तथ्यों के आधार पर अपास्त फरमाया जावे तथा प्रकरण में विधिसम्मत सुनवाई हेतु अपीलार्थी को जवाब साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाकर निर्णित किये जाने हेतु पुनः योग्य अधिनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलान्ट ने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की सुनवाई हेतु सूचना पत्र दिनांक 31.07.2019 को जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट को जारी सूचना पत्र बाद तामिल प्राप्त। अपीलार्थी की औैर से वकील श्री नरेश शर्मा उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की और से पैरोकार सरकार उपस्थित जिन्होने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत न कर सीधी बहस चाही गई।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली उप तहसीलदार मंगलवाड से तलब की गई जो इस न्यायालय को दिनांक 28.08.2019 को प्राप्त हुई।

प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आये जिनकी बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा जो अपील प्रस्तुत की है एवं जो तथ्य बताये है वह अस्वीकार योग्य है क्येांकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उप तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय आदेश भूमि खाता सरकार चरनोट में दर्ज होने से न्याय संगत है। चुकिं भूमि खाता सरकार चरनोट में दर्ज है एवं उप तहसीलदार ने भूमिधारी की हैसियत से भूमि से बेदखली का एवं अतिक्रमी द्वारा नाजायज कब्जा कर लोहे के चद्दर डालकर होटल एवं पानी का होज बना लिया जाकर अतिक्रमण कर लेने से लगान का 50 गुना शास्ती आदेश पारित किये है जो न्याय पूर्ण एवं विधि सम्मत है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायसंगत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जावें ।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस में प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर अपीलान्ट द्वारा

ग्राम मौजा नेगडिया तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1081/888 रकबा 0.0295 हैक्टर भूमि किस्म चरनोट प.2 पर सवंत् 2075 में अपीलान्ट ने नाजायज कब्जा कर लोहे के चद्दर डालकर होटल एवं पानी का होज बना लिया है। उक्त भूमि भूमिधारी तहसीलदार के खाते की है। ऐसी स्थिति में उप तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को जो तहसीलदार के प्रकरण में अप्रार्थी है, को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत् अतिक्रमित घोषित किया जाकर जुर्माना स्वरूप लगान की 50 गुना शास्ति आरोपित कर अतिक्रमी को भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया, जो उचित प्रतीत होता है। अतः उप तहसीलदार मंगलवाड़ द्वारा प्रक्रियाधीन विधिसम्मत निर्णय किया है क्योंकि रेस्पोडेन्ट्स प्रकरण की भूमि का रेकार्डेड खातेदार है व अतिक्रमित भूमि चरनोट है जो नियमन योग्य नही है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। उप तहसीलदार मंगलवाड के निर्णय दिनांक 12.02.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलक्टर
(प्रशासन),चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2020.03.12 13:30:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: